रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-319/2024/785/22-2-2023-17(562)2023

लखनऊ: दिनांक: 29 नवम्बर, 2024

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागार, बॉदा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी गिलुवा (बन्दी संख्या-183/2020) पुत्र श्री दसुवॉ, जो जोरावरपुर, थाना-कमासिन, जनपद-बॉदा का निवासी है, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-95/2020 में भा0द0वि0 की धारा-304 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ/विशेष न्यायाधीश(ई0सी0) एक्ट, बाँदा के आदेश दिनांक 27.11.2020 द्वारा 10 वर्ष का कारावास से दण्डित किया गया, बंदी द्वारा दिनांक 11.08.2022 तक 01 वर्ष 07 माह 13 दिन की अपरिहार सजा तथा 01 वर्ष 08 माह 13 दिन की सपरिहार भोगी गयी सजा एवं पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बॉदा द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति किए जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त दयायाचिका समिति द्वारा की गयी संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, बॉदा के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

शिव गोपाल सिंह

संयुक्त सचिव।

संख्या-319/2024/785(1)/22-2-2023 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।
2- जिला मजिस्ट्रेट, बॉदा।
3- पुलिस अधीक्षक बॉदा।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, बॉदा।
5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

विनोद कुमार द्विवेदी

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in